रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05102023-249166
CG-DL-E-05102023-249166

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4177] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 5, 2023/आश्विन 13 , 1945
No. 4177] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 5, 2023/ASVINA 13, 1945

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अक्तूबर, 2023

का.आ. 4348(अ).— जम्मू एवं कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी (इसमें इसके पश्चात् जेकेडीएफपी के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) का गठन वर्ष 1998 में शब्बीर अहमद शाह द्वारा किया गया था, जो एक प्रमुख अलगाववादी और अपने भारत विरोधी तथा पाकिस्तान समर्थक प्रचार के लिए जाना जाता है;

और, जेकेडीएफपी के संस्थापक ने कश्मीर को 'विवादास्पद' कहा था तथा भारत के संविधान के ढांचे के भीतर किसी भी समाधान को नियम विरुद्ध घोषित किया था;

और, जेकेडीएफपी के सदस्य जम्मू-कश्मीर में अलगाववादी गतिविधियों में आगे रहे हैं तथा एक अलग इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं;

और, जेकेडीएफपी के नेता या सदस्य आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करने, जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा बलों पर निरंतर पथराव सहित विधिविरुद्ध क्रियाकलापों को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान तथा उसके परोक्षी संगठनों सहित विभिन्न स्रोतों के माध्यम से धन जुटाने में सम्मिलित रहे हैं;

और, जेकेडीएफपी तथा उसके सदस्य अपनी गतिविधियों से देश की संवैधानिक सत्ता तथा संवैधानिक व्यवस्था के प्रति पूर्णतया अनादर दिखाते हैं;

और, जेकेडीएफपी एवं उसके नेता या सदस्य, विशेष रूप से इसके संस्थापक शब्बीर अहमद शाह, विधिविरुद्ध क्रियाकलापों में लिप्त रहे हैं, जो देश की अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा तथा सांप्रदायिक सद्भाव के लिए प्रतिकूल हैं;

और, जेकेडीएफपी के प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों के साथ संबंध दिखाने वाले कई इनपुट हैं;

और, जेकेडीएफपी तथा उसके सदस्य देश में आतंक का शासन स्थापित करने के आशय से हिंसक आतंकवादी गतिविधियों में सम्मिलित रहे हैं, जिससे राज्य की सुरक्षा एवं लोक व्यवस्था खतरे में पड़ गई है, और इसकी राष्ट्र-विरोधी गतिविधियाँ भी राज्य की संवैधानिक सत्ता तथा संप्रभुता के प्रति अनादर और असम्मान दर्शाते हैं, अतः इस संगठन के विरुद्ध तत्काल एवं शीघ्र कार्रवाई की आवश्यकता है;

और, केंद्रीय सरकार की यह राय है कि यदि जम्मू एवं कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी के विधिविरुद्ध क्रियाकलापों पर तत्काल कोई प्रतिबन्ध या नियंत्रण नहीं किया गया, तो वह इस अवसर को निम्नलिखित हेतु प्रयोग करेगी -

(i) राष्ट्र-विरोधी गतिविधियाँ जारी रखने, जो देश की क्षेत्रीय अखंडता, सुरक्षा एवं संप्रभुता के लिए हानिकारक हैं;

(ii) भारत संघ में इसके अधिमिलन पर विवाद करते हुए जम्मू-कश्मीर को भारत संघ से पृथक करने का समर्थन जारी रखने;

(iii) विधि द्वारा स्थापित सरकार को अस्थिर करके भारत संघ के राज्यक्षेत्र से एक इस्लामिक राज्य बनाने के प्रयास सहित अपनी विद्रोही गतिविधियों को बढ़ाने; और

(iv) भारत के विरुद्ध असंतोष पैदा करने और लोक व्यवस्था को बाधित करने के आशय से जम्मू-कश्मीर के लोगों की राष्ट्र-विरोधी भावनाओं का प्रचार करना जारी रखने;

और, उपर्युक्त कारणों से केंद्रीय सरकार का यह दृढ़ मत है कि जम्मू एवं कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी की गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए, जम्मू एवं कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी (जेकेडीएफपी) को तत्काल प्रभाव से 'विधिविरुद्ध संगम' घोषित करना आवश्यक है;

अब, इसीलिए, केंद्रीय सरकार, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जम्मू एवं कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी (जेकेडीएफपी) को एक 'विधिविरुद्ध संगम' के रूप में घोषित करती है।

और, उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, केंद्रीय सरकार का यह दृढ़ मत है कि जम्मू एवं कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी (जेकेडीएफपी) को तत्काल प्रभाव से एक 'विधिविरुद्ध संगम' के रूप में, घोषित करना आवश्यक है और तदनुसार, केंद्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (3) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेश देती है कि यह अधिसूचना, उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन किए गए किसी आदेश के अध्यधीन रहते हुए, राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगी।

[फा. सं.14017/12/2023- एनआई-एमएफओ]

प्रवीण वशिष्ठ, अपर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th October, 2023

S.O. 4348(E).—Whereas, the Jammu and Kashmir Democratic Freedom Party (hereinafter referred to as the JKDFP) was formed in 1998 by Shabir Ahmad Shah, a prominent separatist known for his anti-India and pro-Pakistan propaganda;

And whereas, the founder of the JKDFP had called Kashmir as a 'dispute' and ruled out any settlement within the framework of the Constitution of India;

And Whereas, the members of the JKDFP have been at the forefront of secessionist activities in the Jammu and Kashmir and want to create a separate Islamic State;

And Whereas, the leader or members of the JKDFP have been involved in raising funds through various sources including Pakistan and its proxy organizations for perpetrating unlawful activities, including supporting terrorist activities, sustained stone-pelting on Security Forces in Jammu and Kashmir;

And Whereas, the JKDFP and its members by their activities show sheer disrespect towards the constitutional authority and constitutional set up of the country;

And Whereas, the JKDFP and its leaders or members, particularly its founder Shabir Ahmad Shah, have been indulging in unlawful activities, which are prejudicial to the integrity, sovereignty, security and communal harmony of the country;

And Whereas, there have been a number of inputs showing linkages of the JKDFP with banned terrorist organizations;

And Whereas, the JKDFP and its members have been involved in the violent terrorist activities with an intent to create a reign of terror in the country, thereby endangering the security and public order of the State, and its anti-national activities also show disrespect and disregard to the constitutional authority and sovereignty of the State, hence an immediate and prompt action is required against the organisation;

And Whereas, the Central Government is of the opinion that if there is no immediate curb or control of unlawful activities of the Jammu and Kashmir Democratic Freedom Party, it will use this opportunity to –

(i) continue with the anti-national activities which are detrimental to the territorial integrity, security and sovereignty of the country;

(ii) continue advocating the secession of the Jammu and Kashmir from the Union of India while disputing its accession to the Union of India;

(iii) escalate its insurrectionary activities including attempt to carve out an Islamic State out of the territory of the Union of India by destabilizing the Government established by law; and

(iv) continue propagating anti-national sentiments of the people of Jammu and Kashmir with the intention to cause disaffection against India and disrupt public order;

And Whereas, the Central Government for the above-mentioned reasons is firmly of the opinion that having regard to the activities of the Jammu and Kashmir Democratic Freedom Party, it is necessary to declare the Jammu and Kashmir Democratic Freedom Party (JKDFP) as an 'unlawful association' with immediate effect;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby declares the Jammu and Kashmir Democratic Freedom Party (JKDFP) as an unlawful association;

The Central Government, having regard to the above circumstances, is of firm opinion that it is necessary to declare the Jammu and Kashmir Democratic Freedom Party (JKDFP) as an unlawful association with immediate effect, and accordingly, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of section 3 of the said Act, the Central Government hereby directs that this notification shall, subject to any order that may be made under section 4 of the said Act, have effect for a period of five years from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No.14017/12/2023-NI-MFO]

PRAVEEN VASHISTA, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.10.05 19:12:47 +05'30'